

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रतखाल से खाल्यू (सीमा-रिस्टना) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लम्बाई:- 8.300 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - पुरियाचौरा।
तहसील भिक्यारैण, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रतखाल से खाल्यू (सीमा-रिस्टना) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.090 है० आरक्षित वन भूमि, 4.014 है० सिविल सोयम भूमि,) अर्थात् कुल 4.104 है० वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत - पुरियाचौरा द्वारा दिनांक 25/05/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.104 है०, लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / *[Signature]*
ग्राम सचिव
मुखर सहित
वि० सल्ट, (अल्मोड़ा)

[Signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत/पुरियाचौरा
मुखर सहित

दिनांक 25/5/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पुरियाचौरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	सम्भरदत्त मठपाल	MW
2.	शुक्लचन्द	शुक्लचन्द
3.	शेखरचन्द	शेखरचन्द
4.	मन्दीकिशोर	MK
5.	महोषदत्त	महोषदत्त
6.	तारादत्त	तारादत्त
7.	कैलाशचन्द	कैलाशचन्द
8.	दयाकृष्ण	दयाकृष्ण
9.	हन्ती देवी	हन्ती देवी
10.	गंगाकिशोर	गंगाकिशोर
11.	राधादेवी	राधादेवी
12.	हीराबल्लभ	हीराबल्लभ
13.	खीमानन्द	खीमानन्द
14.	किशोरचन्द	किशोरचन्द
15.	भगल देवी	भगल देवी
16.	भवानी देवी	भवानी देवी
17.	मोपालकिशोर	मोपालकिशोर
18.	शांति देवी	शांति देवी

Ladha
प्रधान

ग्राम पंचायत पुरिया चौडा
वि० ख० मल्ट (अल्माडा)

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रतखाल से खाल्यू (सीमा-रिस्टना) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लम्बाई:- 8.300 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — सीमा-रिस्टना।

तहसील भिक्यासैण, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रतखाल से खाल्यू (सीमा-रिस्टना मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.090 है० आरक्षित वन भूमि, 4.014 है० सिविल सोयम भूमि,) अर्थात् कुल 4.104 है० वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत —सीमा-रिस्टना द्वारा दिनांक 25/5/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.104 है०, लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- *सुतोरो*
ग्राम सचिव/अधिकारी
मुहर सहित
वि०स० सल्ट, (अल्मोड़ा)

Bimla
प्रधान
ह०/-
ग्राम प्रधान/सचिव
मुहर सहित

दिनांक 25/5/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सीमारिहना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	दीपक रावत मोतिश चन्द चम्पा देवी मालती देवी रजनी देवी दिनेश चन्द	दीपक मोतिश चम्पा देवी मालती देवी रजनी देवी दिनेश चन्द
7	मन मोहन सिंह वेगडी	मन मोहन
8	देव सिंह मन्मथ झा गोविन्द झा लाल उमेश रावत अशोक रावत पुष्पा देवी नामपुत्र देव प्रेम सिंह देव उदे सिंह प्रेम सिंह देव चन्दन सिंह मोहन चन्द गोपाल देव लालाजी वर्मा विजय सिंह लक्ष्मण सिंह सुसचन्द	देव सिंह मन्मथ गोविन्द लाल उमेश अशोक पुष्पा देवी नामपुत्र देव प्रेम सिंह देव प्रेम सिंह देव लालाजी विजय सिंह लक्ष्मण सिंह सुसचन्द



उमेश
ग्राम प्रधान
25/5/18
ग्राम पंचायत सीमारिहना
पिन 221 005 (बलिया)

के.क.सि.
लक्ष्मण
कमल
नन्दी

परियोजना का नाम :-जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रतखाल से खाल्यूँ (सीमा-रिस्टना) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लम्बाई:- 8.300 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — बूँगीधार।

तहसील भिक्यासैण, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रतखाल से खाल्यूँ (सीमा-रिस्टना मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.090 है० आरक्षित वन भूमि, 4.014 है० सिविल सोयम भूमि,) अर्थात् कुल 4.104 है० वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत —बूँगीधार द्वारा दिनांक 25/5/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.104 है०, लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/—
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
मुहर सहित
लो०नि०वि० सल्ट, (अल्मोड़ा)

ह०/—
ग्राम प्रधान/संरक्षक
मुहर सहित

ग्राम पंचायत बुंगीधार

२६३
हो / -
ग्राम प्रधान
४० व ४० सल्ल (अल्लोनेन)